क्या आप जानते हैं.....?

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पर
कार्टून पुस्तिका

क्या आप जानते हैं.......?

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पर
कार्टून पुस्तिका

सिटीजन कन्ज्यूमर एंड सिविक एक्शन ग्रुप (सीएजी)

2016

....

पृष्ठ संरचना,

....

ग्राफिक डिजाइनिंग व

....

उद्धरण कर्ता

....

रवि

राफिया

मीना

लोगों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रक्रिया से अवगत कराना

आयुष मेट्रो सिटी में अकाउंटेंट का काम करता है, अपने गांव अपने माता–पिता से मिलने आता है। आयुष की माँ अपने पुत्र को देखकर उत्साहित होती है और उसकी आगवानी करती है।

मुझे आप सभी से मिलने की इच्छा हुई तो तुरंत आ गया!
आप सब कैसे हो?
हम ठीक हैं।
अक्षाश कहाँ है?
अक्षाश.....अरे, वह ठीक है, रिजल्ट आ गया है, एक बार फिर एक पेपर में फेल हो गया है, बिल्कुल परवाह नहीं है,
इतनी जल्दी ही अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया है......कभी–भी घर पर नहीं रहता है......

और पिताजी उससे बहुत गुस्से में है। खैर, इसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं.....
तुम्हारा काम कैसा है और शहर का जीवन कैसा है? लगता है कि तुम पतले हो गये हो.....
अरे नहीं... मैं ठीक हूँ, मम्मी।
मेरा मौजूद, कमरासाथी, मनोरंजान, अच्छा बन्दा है और हम अच्छे से घुलमिल गये हैं.....
.....मैं हम दोनों के लिये नाश्ता तैयार करता हूँ और वह डिनर पकाता है।
क्या वह भी तुम्हारे साथ काम कर रहा है?
नहीं, वह एनजीओ के लिए काम कर रहा है।

अम्मा,
पापा कहाँ है?
वे नाश्ता करते ही घर से यह कहते हुए चले गये थे कि वे किसी महत्वपूर्ण मामले की चर्चा करने के लिए धनसुख चाचा से मिलने जा रहे हैं।
अब चार घंटे से भी अधिक समय गया है, इसलिए वे किसी भी समय वापस घर आ सकते हैं।
तुम तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ अल्पाहार व कॉफी बनाती हूँ।
गाँव के लोग कैसे हैं?
सभी ठीक है आयुष, सिवाय धनसुख अंकल के पापा, जो एक सप्ताह पहले गिर गये थे और ठीक नहीं है।
ओह....
मैं उनसे बाद में मिलूंगा।

पवन कुमार घर आते हैं।
अपने बेटे को देखकर अचम्भित और खुश होते हैं।
आयुष देखता है कि वह उत्साहित और बेचैन है।
अरे आयुष, कितनी अच्छी बात है!! तुम कब आये और हालचाल कैसा है?
मैं ठीक हूँ, पापा। लगभग प्रातः 10 बजे पहुंचा था।
मम्मी ने मुझे बताया कि आप धनसुख अंकल के घर गये थे।
अंकल के पिता कैसे हैं?

उनकी तबीयत में सुधार हो रहा है
आप जब से आये हैं, उत्साहित दिख रहे हैं?
पिता और बेटा बैठक में बैठे हैं।
ओहोः अच्छी बात है कि तुम आ गये।
सुनिता!.. आप भी आओ, मैं कुछ मजेदार बात बताना चाहता हूँ.....
...हमें अपने अक्षाश के भविष्य के बारे में अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है.....
....आज, धनसुख के घर से लौटते समय, मेरी पंचायत नेता से मुलाकात हुई थी और.....

....उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गांव के निकट एक तापीय विद्युत संयत्र स्थापित होने वाली है....
और उसका मालिक सम्पूर्ण गांव के प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को नौकरी देगा। है ना अच्छी खबर?
हे भगवान, आपको बहुत धन्यवाद!
अक्षाश का भविष्य ही मूल चिंता का विषय है क्यों कि वह......
...सही ढ़ंग से अध्ययन नहीं कर रहा है और हमेशा एक या अन्य विषय में फेल होता रहता है.....
यदि कम्पनी नौकरी देगी, तो उसका भविष्य सुरक्षित है और हम खुश रह सकते हैं!

अम्मा, एक मिनट इंतजार करो!
पापा, क्या आप जानते हैं कि संयत्र कहाँ निर्माण किया जाना प्रस्तावित है?
?!!
...क्या वे भूमि अधिग्रहण करेंगे? क्या इससे हमारी कृषि भूमि और आजीविका प्रभावित होगी?.....
...क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे प्रस्तावित कम्पनी/प्रस्तावक के मालिक/प्रस्तावक को संयत्र स्थापना के लिए पालन करना होता है?
मुझे मालूम नहीं है आयुष!
पापा, मैं जानता हूँ कि कई महत्वपूर्ण चरण और प्रक्रियाएं होती है.....
मुझे नहीं लगता है कि हमारे पंचायत नेता भी इसके बारे में जानते हैं।

....जिसे प्रस्तावक को संयत्र चालू करने के लिए पालन करना होता है....
मेरा कमरासाथी, मनोरंजान......
NGO NETWORK
....जो इस क्षेत्र में काम करने वाली एनजीओं में काम करता है.....
वह भी हाल ही में इस आने वाले उद्योग/संयत्र की समस्याओं के बारे में बात कर रहा था। यदि आप सहमत है.....तो
मैं उन्हें यहाँ आने व इस प्रक्रिया पर कुछ जानकारी देने के लिए कह सकता हूँ।
अवश्य, मैं पंचायत नेता, धनसुख अंकल और अन्य लोगों से बात करूंगा और हम आपके दोस्त के साथ मिटिंग करने की व्यवस्था कर सकते हैं।

पवन कुमार पंचायत नेता और अन्य लोगों से मिलता है और उन्हें आयुष की मुलाकात और आगामी संयत्र की शंका के बारे में सूचित करता है। वह आयुष के दोस्त के बारे में संक्षिप्त परिचय भी देता है।

उसके पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है।
ओह.... आयुष कैसे हैं? काफी समय हो गया है!
आयुष ठीक है।
आपका बेटा कैसे हैं? क्या वह शहर में खुश है? उनके कौनसे सवाल है?
वह संयत्र स्थान के बारे में पूछ रहा था.....
... और यदि हमारी रोटी – रोटी कुछ तरीकों से प्रभावित होने वाली है....

..प्रस्तावक को सरकारी निर्देशानुसार पालन करना होगा...
संयत्र चालू करने से पहले......
ओह....ऐसे कई पहलू है जिसे हमें देखना, समझना होगा,...
....है ना? मुझे ऐसे किसी भी पहलू के बारे में जानकारी नहीं थी। इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
मूल चिंता की बात लगती है....
हम क्या करें?

आयुष ने अपने एनजीओ में काम करने वाले कमरासाथी मनोरंजान के बारे में मुझे बताया था....
?!!
.....वह इसी क्षेत्र में काम करता है....
....और यदि हम सहमत हैं, तो वह मनोरंजान से यहाँ आने व इस प्रक्रिया को समझाने के लिए कहेगा।

सामूहिक स्वर
ओह....बहुत अच्छा रहेगा!
कृपया आयुष को अपने दोस्त को तुरंत बुलाने के लिए कहें....
....यदि जरूरत पड़ी तो हम उनकी यात्रा व भोजन का खर्चा उठा सकते हैं।
इसकी जरूरत नहीं है। आयुष इन सब बातों का ध्यान रखेगा.....
क्या हम आने वाले रविवार की योजना बनायें?

हम पंचायत सदस्य और महिला स्वयं सहायता समूह नेता को आमंत्रित कर सकते हैं।
....मिटिंग के लिए, आप क्या कहते हैं?
अवश्य!

आयुष अपने दोस्त, मनोरंजान को फोन करता है, और उन्हें अपने गांव का दौरा कर, ईआईए प्रक्रिया को समझाने के लिए निवेदन करता है।

...लगता है कि आपको इस अभ्यास को अधिक विस्तार के साथ एक बार फिर से दोहराना होगा....
....ताकि मेरे पिता और उनके दोस्त समझ सकें.....
मेरे गांव के निकट तापीय विद्युत संयत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है....
..मेरे गाँव के लोग इसलिए खुश है कि प्रस्तावक गांव के प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देगा.....
लेकिन, उन्हें संयत्र की अन्य जटिलताओं के बारे में मालूम नहीं है।
मेरे दिमाग में तुरंत विचार आया कि आप उचित व्यक्ति हो......

जो उनसे इसमें शामिल प्रक्रिया के बारे में बात कर सकें....
उन्हें नियम, विनियम को समझा सकें....
....लोक परामर्श प्रक्रिया के बारे में भी बता सकें..
.....क्या आप ऐसा कर सकेंगे.....
.....इस रविवार को आ जाएंगे?
पक्का, मुझे खुशी होगी!

पंचायत कार्यालय के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे मिटिंग होती है–जिसमें मनोरंजान, आयुष, पवन कुमार, धनसुख, पंचायत नेता और 4 सदस्य, 4 महिला सहायता समूह नेता उपस्थित होते हैं–मनोरंजान ईआईए प्रक्रिया को समझाता है

और हमारे गाँव के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी।
सामूहिक स्वर
हाँ हाँ हाँ
मुझे भी ऐसा ही लगा था....
...लेकिन, आयुष कहता है कि हमारी आजीविका को प्रभावित करने वाले अन्य पहलू है और
....हमें दीर्घकालीन जीवन गुणवत्ता के बारे में जागरूक होना आवश्यक है।
हाँ, पापा ने जो कुछ कहा है, वह सही है.....

मुझे इसके बारे में भी अभी पता चला था...
..इसलिए मैंने अपने दोस्त मनोरंजान को बुलाया, जो कि इस क्षेत्र में काम करता है और इस विषय पर बेहतर जानकारी देने के लिए आया है।
...मेरे दोस्त मनोरंजान से मिलें
सभी को नमस्कार!
सामूहिक स्वर
नमस्ते!
क्या आपने ''पर्यावरण समाशोधन'' के बारे में सुना है?

सामूहिक स्वर
नहीं नहीं नहीं
यह क्या है?
भारत सरकार ने 39 औद्योगिक परियोजनाओं की पहचान की है जैसे
खनन
बंदरगाह
तापीय विद्युत संयत्र, इत्यादि,

* ENVIROENMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)

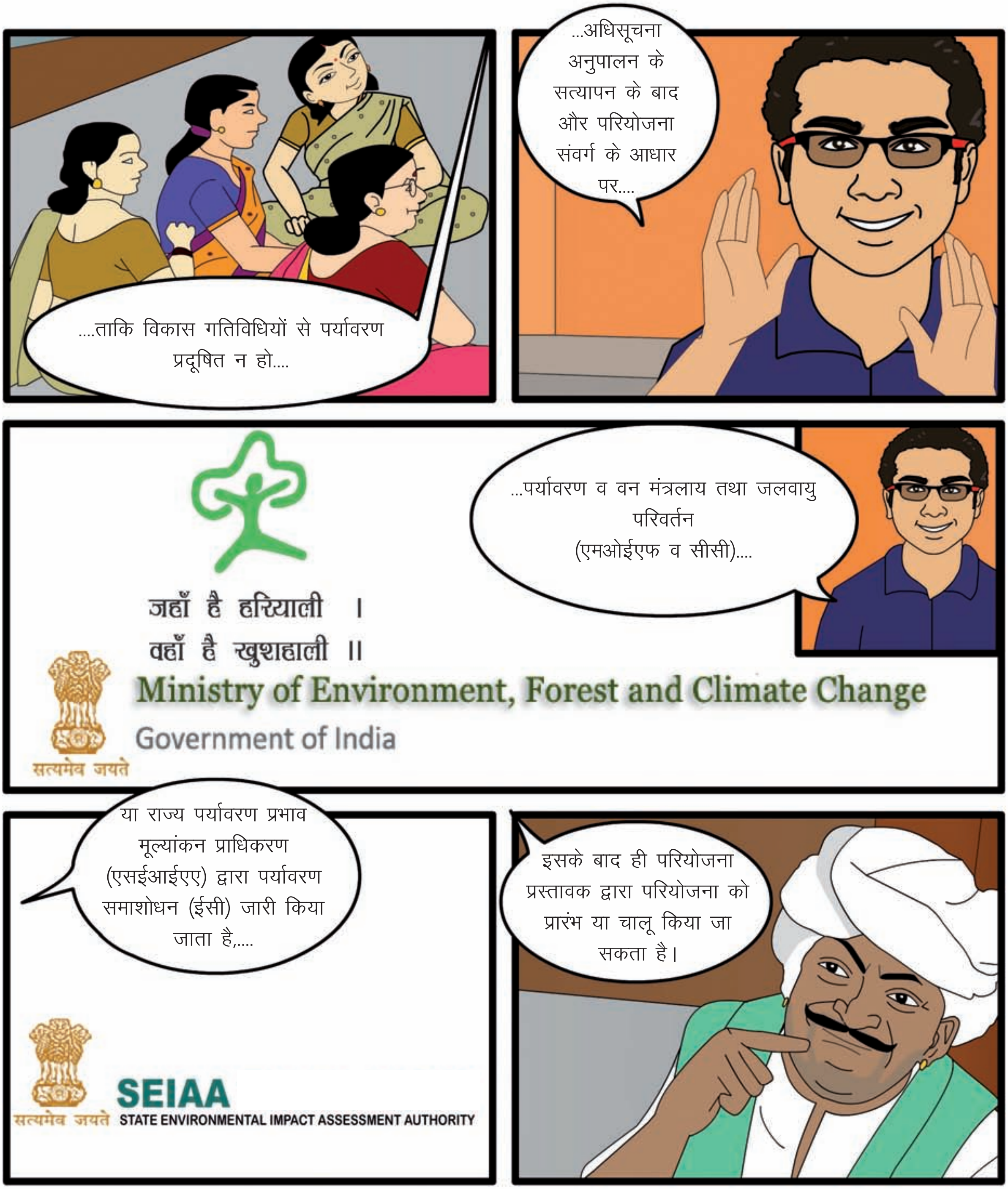
....ताकि विकास गतिविधियों से पर्यावरण प्रदूषित न हो....
...अधिसूचना अनुपालन के सत्यापन के बाद और परियोजना संवर्ग के आधार पर....
जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ॥
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India
सत्यमेव जयते
...पर्यावरण व वन मंत्रलाय तथा जलवायु परिवर्तन (एमओईएफ व सीसी)....
या राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा पर्यावरण समाशोधन (ईसी) जारी किया जाता है,....
सत्यमेव जयते
SEIAA
STATE ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY
इसके बाद ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना को प्रारंभ या चालू किया जा सकता है।

ओह...हमें इन सब के बारे में मालूम नहीं था.
इसलिए मैंने आज ही मनोरंजान को बुलाया था....
किसी मौजूद परियोजना के विस्तार या आधुनिकरण के पहले भी...
...या मौजूद परियोजना के उत्पाद मिश्रिण में परिवर्तन करने के लिए भी...
और इसकी गतिविधियों के लिए भी, पर्यावरण समाशोधन की जरूरत है।
क्या ऐसा होता है?!

हाँ। मैंने पहले पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना (ईआईए) के बारे में बताया था, क्या आपको याद है
क्या आप इसके जनादेश को जानते हैं?
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India
Form I
Pre-feasibility report
परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना समाशोधन के लिए आवेदन (प्रपत्र 1, पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट) एमओईएफ व सीसी को जमा कराना होता है।
एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) होती है जिसे प्रस्तावक द्वारा परियोजना के बारे में प्रस्तुतीकरण दी जाती है।
पॉवर पोइंट प्रस्तुतीकरण
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India
TOR
फिर एमओईए द्वारा प्रस्तावक को ईआईए तैयारी के लिए संदर्भ शर्तें (टीओआर) जारी की जाती है
बाद में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एमओईएफ और राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) को ईआईए प्रारूप जमा कराया जाता है
ईआईए–प्रारूप
जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ।।
एसईआईएए तमिलनाडु
राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण

इसके बाद, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एसपीसीबी द्वारा लोक परामर्श (लोक सुनवाई व लिखित प्रत्युत्तर) की व्यवस्था की जाती है और इसकी कार्यवाही को एमओईएफ को जमा कराया जाता है
इसके पश्चात, परियोजना प्रस्तावक द्वारा एमओईएफ व सीसी को अंतिम ईआईए व अंतिम व्यवहार्यता रिपोर्ट जमा कराई जाती है।
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India
Final EIA
Final Feasibility Report
Government of india
एमओईएफ व सीसी द्वारा अंतिम ईआईए की अनुपालना
टीओआर के अनुसार की जाती है और इस मामलें के बारे में ईएसी को सूचित किया जाता है
अंतिम ईआईए
Final EIA

फिर ईएसी द्वारा दस्तावेज का मूल्यांकन पूर्ण कर, एमओईएफ व सीसी से इसके लिए समाशोधन जारी करने/निरस्त करने की सिफारिश की जाती है

...और अंत में,
एमओईएफ व सीसी द्वारा परियोजना प्रस्तावक के लिए समाशोधन जारी या निरस्तीकरण पत्र प्रेषित किया जाता है।
ENVIRONMENTAL CLEARANCE
ENVIRONMENTAL CLEARANCE

इसमें कई प्रक्रिया शामिल है, है ना?
यदि इनका नियमानुसार पालन किया जा रहा है तो हम चिंता क्यों करें?
इसमें समस्या होती है। क्योंकि, संभवतः प्रत्येक प्रस्तावक इन सभी मापदण्डों का पालन नहीं करते हैं।
और इसलिए, यदि हम सजग नहीं रहते हैं, तो बाद में हमारे लिए भारी समस्या हो सकती है।
पंचायत नेता द्वारा मनोरंजान को चाय व बिस्किट पेश किया जाता है।
तो, हम क्या करें?
मैंने ईआईए के अंतर्गत लोक सुनवाई के बारे में बताया था। इसी में आप सक्रिय रूप से भाग लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं।

लोक सुनवाई क्या है?
लोक सुनवाई, सभी ईसी अपेक्षित (39 परियोजना गतिविधियां) के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा संचालित की जाने वाली अनिवार्य मिटिंग होती है....
...इसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपस्थित लोगो को परियोजना के बारे में स्पष्ट किया जाता है। इसें स्थानीय लोगों की राय जानने के लिए संचालित किया जाता है.....
....और इच्छुक सिविल सॉसाइटी संस्थाओं.....
.....लोगों के जीवन और आसपास के क्षेत्र पर परियोजना से संबंधित प्रभाव की जानकारी दी जाती है।
इसे कहाँ संचालित किया जाएगा?

लोक सुनवाई को परियोजना स्थल के निकटतम स्थान पर संचालित किया जाएगा...
ज्यादातर 1 किमी के दायरे में।
यदि लोक सुनवाई संचालित करने के लिए 1 किमी. के दायरे में कोई उपयुक्त जगह नहीं है, तो परियोजना स्थल के निकट अन्य निकटतम स्थान का चयन किया जाएगा।
...उदाहरण के लिए, यदि कार्यस्थल से दो किलोमीटर के दायरे में कोई उपयुक्त स्थान है, तो एसपीसीबी द्वारा इससे अधिक दूरी के स्थान का चयन नहीं किया जा सकता है।
NH 67 EXTN
MADURAI
39
ठीक है....लेकिन हमें लोक सुनवाई के कार्यक्रम–स्थल के बारे में कैसे मालूम होगा?
30 दिन पहले, एसपीसीबी द्वारा लोक सुनवाई के कार्यक्रम स्थल के बारे में अंग्रेजी व क्षेत्रीय भाषा में व्यापक प्रचार किया जाएगा।
THE TIMES OF INDIA
தினகரன்
The Telegraph
RAJASTAN PATRIKA
राजस्थान पत्रिका
Malayala Manorama
Mathrubhumi

ऐसे स्थान जहाँ समाचार–पत्र नहीं पहुंचते हैं, वहाँ इसकी जानकारी रेडिया/टीवी या ढ़ोल बजाकर विज्ञापन दिया जाएगा।
ओह, समझ गया... क्या मुझे लोक सुनवाई में भाग लेने से पहले तैयारी करनी होगी?
अच्छा प्रश्न है! हाँ, लोक सुनवाई में भाग लेने से पहले, आपको प्रपत्र 1 प्राप्त करना और पढ़ना आवश्यक है.....
....पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट, टीओआर और ईआईए प्रारूप को भी पढ़ना आवश्यक है, जिसे परियोजना प्रस्तावक द्वारा जमा कराई जाती है,....
......परियोजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए।
प्रपत्र 1 क्या है? इस प्रपत्र में क्या दिया जाएगा?

भूमि का वर्तमान प्रयोग, सर्वे संख्या, प्राकृतिक संसाधनों की उपयोगिता, संयत्र कार्यप्रणाली–इससे अधिग्रहित की जाने वाली जमीन सीमा के बारे में जानकारी मिलेगी।
..लोगों व आसपास के क्षत्रों पर इसके प्रभाव के बारे में भी।
ठीक है। मुझे पूर्व–व्यवहार्यता रिपोर्ट क्यो पढ़ना चाहिए?
प्रमुख प्रदूषक तत्व, परियोजना आकार, परियोजना की लागत जानने के लिए....
...और परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना में आवंटित पर्यावरण शमन लागत, सामाजिक–आर्थिक शमन लागत

क्या मैं लोक सुनवाई में भाग ले सकता हूँ और लिखित प्रत्युत्तर भी भेज सकता हूँ?
हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं
मनोरंजान, एक छोटा सा सवाल..
हाँ, आयुष
यदि मैं दस्तावेज को समझने में असमर्थ हूँ लेकिन लोक सुनवाई में भी भाग लेना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
आसान है! आप इस क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे पर्यावरण समूह और विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं...
...और जो इस विषय के बारे में बेहतर समझ रखता है और इसकी मिटिंग में भाग लेता हो, उनसे भी....

ओह....ठीक है। यदि मैं उस स्थान का निवासी नहीं हूँ, तो क्या मैं भी लोक सुनवाई में भाग ले सकता हूँ?
यदि आपके पास वैध सामाजिक व पर्यावरण समस्या हो तो भाग ले सकते हैं।
क्या दो परियोजना की लोक सुनवाई साथ–साथ, एक ही समय और एक ही कार्यक्रम स्थल पर आयोजित की जा सकती है?
नहीं, नियमानुसार, इसकी अनुमति नहीं है।
क्या लोक सुनवाई को स्थगित किया जा सकता है?
हाँ, लेकिन सिर्फ आपातकालीन स्थिति में या प्रक्रिया का पालन न करने पर लोगों द्वारा विरोध किये जाने पर.....

....लोक सुनवाई की अगली तिथि तक।
माफ करना मनोरंजान, हम अपने सवालों से आपको परेशान कर रहे
बिल्कुल नहीं, यह तो मेरा सौभाग्य है! इस विषय में इतने लोगों की रूचि देखकर खुशी हुई
क्या लोक सुनवाई में समय की पाबंदी है या कितने लोग बोल सकते हैं?
नहीं, ऐसी कोई सीमा नहीं है।
यदि परियोजना स्थल दो राज्यों की परिसीमा में आती है, तो लोक सुनवाई का आयोजन कहाँ होगा?

ऐसे मामले में, दोनों राज्यों के संबंधित एसपीसीबी द्वारा संयुक्त रूप से लोक सुनवाई का प्रबंध किया जाता है।
परियोजना के बारे में लिखित प्रत्युत्तर कौन भेज सकते हैं?
परियोजना के पर्यावरण पहलूओं में रूचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति लिखित प्रत्युत्तर भेज सकते हैं।
यदि लोक सुनवाई संचालन के बिना परियोजना को ईसी जारी कर दी जाती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
यदि ऐसा होता है, तो तीस दिन के अंतर्गत आप ईसी के विरूद्ध मुकदमा
...राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में दर्ज करा सकते हैं।

ओह... तो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) क्या है?

एनजीटी एक न्यायालय है
NATIONAL GREEN TRIBUNAL
NEW DELHI
National Green Tribunal

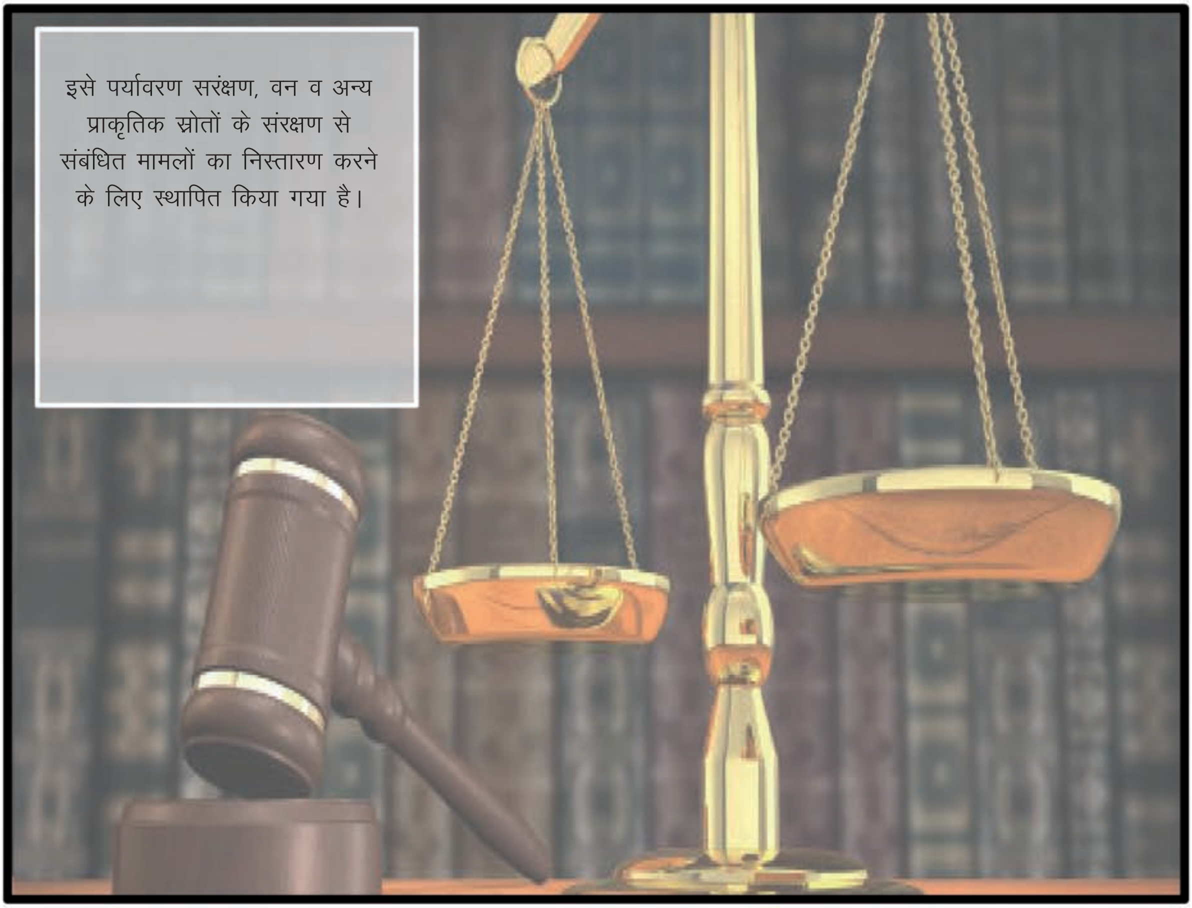
इसे पर्यावरण सरंक्षण, वन व अन्य प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निस्तारण करने के लिए स्थापित किया गया है।

क्या परियोजना प्रस्तावक, ईसी प्राप्त करने से पहले परियोजना में कोई गतिविधि चालू कर सकता है?
साइट को अतिक्रमण से बचाने के लिए तारबंदी करना व..
....अस्थायी गार्ड आवास का निर्माण ही दो ऐसी गतिविधियां है जिसे ईसी प्राप्त करने से पहले चालू किया जा सकता है।
आमतौर पर परियोजना के लिए ईसी प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
यह संयत्र आकार पर निर्भर करता है। आमतौर इसमें 1 से 1 1/2 वर्ष लगता है।
ओह...,
इतना समय? ठीक है, तो एकबार ईसी जारी होने पर, क्या परियोजना प्रस्तावक द्वारा संयत्र का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है?

नहीं! परियोजना प्रस्तावक को संबंधित एसपीसीबी में स्थापन स्वीकृति के लिए आवेदन करना होता है, और इसे प्राप्त करने पर, परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के किस चरण पर भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है?
परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईसी के लिए आवेदन जमा कराने से पहले भी भूमि अधिग्रहण करना प्रारंभ किया जा सकता है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा कौनसी व किसकी भूमि अधिग्रहित की जाने वाली है, के बारे में, मैं कैस पता लगा सकता हूँ?
ईआईए प्रारूप रिपोर्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली पूर्व–अधिग्रहित भूमि की जानकारी मिल सकती है।
हमें ईआईए रिपोर्ट से अन्य कौनसी जानकारी मिल सकती है?

प्रारूप ईआईए
▪ परियोजना विवरण
▪ पर्यावरण मूलाधार डेटा का विवरण
▪ जनसांख्यिकीय
▪ भूगर्भीय विवरण
▪ अध्ययन क्षेत्र में पारिस्थितिकी संवेदनशील योगदान
▪ प्रत्याशित पर्यावरण
▪ परियोजना का सामाजिक प्रभाव
▪ वैकल्पिक स्रोत विश्लेषण
▪ रोजगार अवसर इत्यादि
ओह... ठीक है। रोजगार, सीएसआर से संबंधित और अन्य शर्तों का मौजूद परियोजना में पालन नहीं किया जाता है, तो इसकी शिकायत कहाँ करेंगे?
आप इस मामले की शिकायत, एमओईएफ और एसपीसीबी में कर सकते हैं।
क्या परियोजना विस्तार के लिए भी ईआईए रिपोर्ट तैयार की जाती है?
जैसा कि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यह परियोजना विस्तार के लिए भी आवश्यक है और सामान्य तौर पर इसे डाउनफिल्ड ईआईए कहा जाता है....

मूलाधार अध्ययन में मौजूद शमन उपायों की प्रभावशीलता, अनुपालन स्थिति और व्यापक प्रभाव मूल्यांक सहित प्रत्याशित परिर्वतन शामिल होते हैं।
ओह... ठीक है, मैं भूल गया था.....
ठीक है, दुबारा पूछने में कोई हर्ज नहीं है।
ईसी के अलावा, परियोजनाओं के लिए अन्य किसी समाशोधन की जरूरत है?
हाँ, लेकिन यह परियोजना व परियोजना स्थान पर आधारित हो।
..यदि परियोजना समुद्र तट के बहुत नजदीक स्थित है, तो तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड़) समाशोधन आवश्यक है।
...इसी तरह, यदि परियोजना वन्य क्षेत्र के बहुत निकट स्थित है, तो वन विभाग से समाशोधन लेना अनिवार्य है।

संयत्र की ईसी प्रक्रिया में कोई उल्लंघन होने पर इसके बारे में कहाँ शिकायत करें?
ईआईए प्रक्रिया के किसी भी चरण पर कोई उल्लंघन होता है तो एमओईए को सूचित करें। यदि परियोजना के लिए ईसी जारी कर दी गई है, तो
इसके उल्लंघन पर, आप राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष चुनौती दे सकते हैं।
ओह, समय देने के लिए धन्यवाद, मनोरंजान। यह आपका बड़प्पन है!
अन्य कोई सवाल?
नहीं, आज हमें बहुत सारी जानकारी मिली है....

..हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोक सुनवाई की घोषणा होने पर इसमें हमारे लोग प्रभावी रूप से भाग लेंगे.....
...हमें भी इसके लिए आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी।
अवश्य श्रीमान, हम हर संभव तरीके से आपकी मदद करेंगे ताकि स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने पर
वर्तमान व भावी पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा।
धन्यवाद मनोरंजान!
मिटिंग समाप्त होने पर, पंचायत नेता द्वारा अगली पंचायत सभा तिथि की घोषणा की जाती है।

आवश्यक संपर्क सूचना

भारत

अवर सचिव
सूचना का अधिकार (आरटीआई) प्रकोष्ठ
पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली–110 003, भारत.
दूरभाष: 011–24695334 ईमेल: us.rti-mef@nic.in
वेबसाइट: http;//envfor.nic.in/

1) महाराष्ट्र

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
कलपतरु पॉइंट, 3 व 4 मंजिल, सायन सर्किल, मुम्बई–400 002.
दूरभाष–022-24020781 / 24014701 फैक्स–022-24024068
वेबसाइट:http://mpcb.gov.in/

राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए)

पर्यावरण विभाग, 15वीं मंजिल, नवीन प्रशासनिक भवन, मैडम कामा रोड,
मंत्रालय, मुम्बई– 400032, महाराष्ट्र
फोन: 022-22873845 फैक्स: 022-24023515
ईमेल:mahaseiaa@gmail.com वेबसाइट: https://ec.maharashtra.gov.in/

2) मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
ई–5, अरेरा कॉलानी, पर्यावरण परिसर, भोपाल– 462 016, मध्यप्रदेश, भारत
फोन: +91-755-2464428 फैक्स नं.:2463742
ईमेल: it_mppcb@rediffmail.com वेबसाइट:http://www.mppcb.nic.in/

एसईआईएए

ईपीसीओ, एमपीपीसीबी, ई–5 अरेरा कॉलोनी, भोपाल. मध्यप्रदेश
दूरभाष:0755-3466970 वेबसाइट:http://mpseiaa.nic.in

3) छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सदस्य सचिव, वाणिज्य कॉम्पलेक्स,
छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (सी.जी.)
फोन: 0771-2970070 फैक्स: 0771-2970074
ईमेल–hocecb@gmail.com वेबसाइट:http://www.enviscecb.org/

एसईआईएए

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नानक निवास, सिविल लाइन्स,
रायपुर– 492–009 छत्तीसगढ़. दूरभाष: 0771-4071148 (सीएम)
फैक्स: 0771-2443924, 09827150363 (सीएम)
ईमेल:seiaacg@gmail.com वेबसाइट:www.seiaacg.org

4) ओडिशा

ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, परिवेश भवन,
ए/118, नीलकण्ठ नगर, यूनिट– VIII, भुवनेश्वर–751012, ओडिशा
फोन (अध्यक्ष): (0674) 2560973 (कार्यालय)
ईमेल:paribesh1@ospcboard.org वेबसाइट:www.ospcboard.org

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

फरिदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली–110 001, भारत.
दूरभाष: 011-23043501
फैक्स:011-23077931
ईमेल: rg.ngt@nic.in
वेबसाइट: http://www.greentribunal.gov.in/

एसईआईएए

परिवेश भवन, ए/118 नीलकण्ठ नगर,
यूनिट VIII, भुवनेश्वर–751012
फोन: (0674) 2581909/2560929/2563924/
फैक्स:2562822 2560955
वेबसाइट: http://www.orissaseiaa.gov.in/

5) झारखण्ड

झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
ई–1 ब्लॉक, सीटीआई कॉलोनी, सेक्टर 4, बिरसा नगर,
धुर्व, रांची, झारखण्ड 834004 फोन:2400894/851/852/902
फैक्स: 0651-2400850 वेबसाइट: www.jspcb.org

6) गुजरात

गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, पर्यावरण भवन, सेक्टर–10ए, गांधीनगर–382010.
फोन: (079) 2323 2152 फैक्स:(079) 2323 2156, 2322 2784
ईमेल: ms-gpcb@gujarat.gov.in वेबसाइट: http://gpcb.gov.in/

एसईआईएए

गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
पर्यावरण भवन, सेक्टर–8, गांधीनगर–382010. गुजरात
फोन: 079-23232152 फैक्स:079-23222784
वेबसाइट: http://seiaa.gujarat.gov.in

7) राजस्थान

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
4, झालाना औद्योगिक क्षेत्र, झालाना डुंगरी, जयपुर (राजस्थान) 302 004
ईमेल:member-secretary@rpcb.nic.in फोन: 0141-5159600,
फैक्स: 5159697 वेबसाइट:http://rpcb.nic.in/

एसईआईएए

राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर–302005 राजस्थान
फोन: 0141-2227838, 09413343275
ईमेल:Env_raj@yahoo.co.in

8) पंजाब

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
वातावरण भवन, नाभा रोड, पटियाला, 147001, पंजाब,
फोन: 0175 221 5802
वेबसाइट: http://www.ppcb.gov.in/

एसईआईएए

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय,
नाभा रोड, पटियाला. दूरभाष: 0175-2215802, फैक्स: 0175-2215636
ईमेल: seac_pb@yahoo.com वेबसाइट: http://www.seiaapunjab.co.in/

9) हरियाणा

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
सी–11, सेक्टर–6, पंचकुला–134109, हरियाणा
फोनः +91 172 2581005, +91 172 2581006 ,
फैक्सः +91 172 2581201 ईमेलः hspcbho@gmail.com
वेबसाइटः http://hspcb.gov.in/

एसआईएए

कमरा नं. 406, 4 मंजिल, नवीन हरियाणा, सचिवालय, सेक्टर–17
चण्डीगढ़, हरियाणा. फोन:0172 - 2740128 / फैक्सः 2565232
ईमेल:harenvironment@gmail.com
वेबसाइटः http://www.seiaahry.in/

10) हिमाचल प्रदेश

एचपी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, हिम परिवेश, चरण– III,
न्यू शिमला– 171009. हिमाचल प्रदेश.
दूरभाष:0177 2673275 फैक्स:2673985
ईमेलः pcb.chairman@gmail.com
वेबसाइटः http://hppcb.nic.in/

एसईआईएए

पर्यावरण विभाग, एचपी सरकार ''नारायण विला'' होटल वूड विले पैलेस के पास,
छोटा शिमला– 171002, हिमाचल प्रदेश
फोनः 0177-2627608 /604, 2621859
ईमेलः hpseiaa@gmail.com
वेबसाइटः http://desthp.nic.in/seac_seiaa.html

11) उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण व पीसीबी 29/20, नेमी रोड, देहरादून,
उत्तराखण्ड 248001 फोनः 0135-2658086 फैक्स–0135-2718092
ईमेल– msukpcb@yahoo.com वेबसाइटः http://ueppcb.uk.gov.in/

एसईआईएए

पर्यावरण व वन–सह–सदस्य–सचिव,
एसपीसीबी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
फोनः 0135-2668084 0135-2668092 09412053605 (सीएम) 09837032236(एमएस)
ईमेल:ms.ueppcb@gmail.com
वेबसाइटः http://seiaauttarakhand.org/

12) उत्तरप्रदेश

उत्तरप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
भवन सं. टीसी–12वी, विद्युत खण्ड, गोमती नगर लखनऊ–226 010
फोन:+91-522-2720831, फैक्स:2720764
ईमेल:feedback@uppcb.com वेबसाइट:http://www.uppcb.com/

एसईआईएए

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
पीआईसीयूपी भवन, 3 मंजिल, बी–ब्लॉक, विद्युत खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010 फोनः 0522-2720693 09935349888 ईमेलः Up.seiaa@yahoo.com
वेबसाइटः http://www.seiaaup.in/

13) बिहार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना (बिहार)–800 023
फोनः 2281250; 2281776 फैक्स:2281050
ईमेलः bspcb@vsnl.net
वेबसाइटः http://bspcb.bih.nic.in/

एसईआईएए

सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बेल्ट्रोन
भवन, शास्त्रीनगर, बैली रोड, पटना–800023
फोनः 2281250; 2281776 फैक्सः 2281050
ईमेलः bspcb@vsnl.net
वेबसाइटः http://seiaabihar.org/

13) पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
परिवेश भवन, 10ए, ब्लॉक–एल.ए., सेक्टर III,
साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता–700 098
ईमेलः wbpcbnet@wbocb.gov.in
फोनः 1-800-345-3390 (टॉल फ्री)
वेबसाइटः http://www.wbpcb.gov.in/

एसईआईएए

पर्यावरण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार
4 मंजिल, पोअरा भवन, एफडी415ए,
सेक्टर III, साल्ट लेक, कोलकाता–700 106
ईमेलः environmentwb@gmail.com
वेबसाइटः http://environmentwb.gov.in/

14) असम

असम राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
मणिराम दीवान रोड, अनुराधा, बामुनिमैडम,
गुवाहाटी, असम 781021
फोनः 91 -361- 2652774 फैक्सः 2550259
ईमेलः chairman@pcbassam.org
वेबसाइटः http://pcbassam.org/

एसईआईएए

सदस्य सचिव, पीसीबी, असम,
बामुनिमैडम, गुवाहाटी–21
फोनः 91 -361-2652774 फैक्स:2550259
ईमेल:chairman@pcbassam.org

19) जम्मू–कश्मीर

जम्मू–कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
परिवेश भवन, वन कॉम्लेक्स, ग्लाडनी, नारवाल, ट्रांसपोर्ट नगर,
जम्मू (जम्मू–कश्मीर)
फोनः 0191-2476925, 2476927
जम्मू–कश्मीर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, परिवेश भवन,
शेख–उल–कैम्पस, सरकारी रेशम कारखाने के पीछे, राज बाग,
श्रीनगर (जम्मू–कश्मीर)
फोन:0194-2313966, 2311165
ईमेल:chairman87jkspcb@gmail.com
membersecretaryjkspcb@gmail.com
वेबसाइटः http://jkspcb.nic.in/

एसईआईएए

आईडब्ल्यूडीपी–हिल्स– II वन कॉम्लेक्स ग्लाडनी जम्मू/
सिल्क फैक्ट्री रोड, राजबाग, श्रीनगर, कश्मीर
फोन:0194-2311165, 9419187530.

सिटीजन कन्ज्यूमर एंड सिविक एक्शन ग्रुप (सीएजी)

एक गैर लाभकारी, गैर–राजनीतिक, व्यावसायिकता संस्था है जो ग्राहक व पर्यावरण मुद्दों में नागरिक अधिकारों के संरक्षण और पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा सहभागिता निर्णय–निर्माण सहित बेहतर सुशासन के प्रोत्साहन में काम करती है।

सिटिजन कन्ज्यूमर एंड सिविक एक्शन ग्रुप (सीएजी)

9 / 5, II गली, पदमानभा नगर, अद्यार, चेन्नई 600020.

दूरभाषः 91–44–24460387 / 24914358

ईमेल : helpdesk@cag.in/tpp@cag.org.in

वेबसाइटः www.cag.org.in/www.thermalwatch.org.in